कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/ स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कृष्ण अवतार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरी कलां जिला दौसा का स्थानान्तरण राबाउमावि गैरई जिला करौली किया गया था जिसके विरूद्ध कृष्ण अवतार गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3833/2019 कृष्ण अवतार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 3833/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2019 द्वारा अपीलार्थी कृष्ण अवतार गुप्ता को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये गए थे जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 04.02.2020 द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए निस्तारित किया गया था।

श्री कृष्ण अवतार गुप्ता के उक्त अभ्यावेदन को खारिज किये जाने के उपरान्त इनके द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में एक अन्य अपील संख्या 443/2020 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 एवं अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 04.02.2020 को अपीलार्थी श्री कृष्ण अवतार गुप्ता के सम्बन्ध में निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पूर्व पदस्थापन स्थान राउमावि खुरी कलां जिला दौसा में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रखे जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। साथ ही माननीय अधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपीलार्थी को जिले के भीतर कहीं भी स्थानान्तरित किये जाने पर उक्त आदेश इसमें बाधक नहीं होगा।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 एवं अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 04.02.2020 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। राउमावि खुरी कलां जिला दौसा में प्रधानाचार्य का पद वर्तमान में रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी श्री कृष्ण अवतार गुप्ता को दौसा जिले में ही निकटस्थ स्थान राउमावि तालचीड़ी, महवा जिला दौसा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित/समायोजित किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जाता है।

इन्हें उक्त पदस्थापन/समायोजन पर किसी प्रकार का योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/कृष्ण अवतार/अपील/443/2021/524 दिनांकः 17.06.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर संभाग, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/करौली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा/करौली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री कृष्ण अवतार गुप्ता, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)